TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE

GAZETTE OF INDIA (EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

* * * * *

NEW DELHI, THE 21.3.1998

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. In exercise of the powers conferred by section 118 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of Government of India, Central Board of Direct Taxes number S.O. 359(E) dated 30th March, 1988, namely :-

In the said notification, -

(a) for the clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-

"(c) Additional Directors or Additional Commissioners or Additional Commissioners(Appeals) or Deputy Directors or Deputy Commissioners or Deputy Commissioners(Appeals) shall be subordinate to the Directors or Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions or other income-tax authority under whom they are appointed to work and to any other income-tax authority to whom the Director or the Commissioner, as the case may be, or other income-tax authority is subordinate;"

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :-

"(d) Assistant Directors or Assistant Commissioners shall be subordinate to Additional Directors or Additional Commissioners or Deputy Directors or Deputy Commissioners within whose jurisdiction they perform their functions or other income-tax authority under whom they are appointed to work and to any other income-tax authority to whom the Deputy Director or the Deputy Commissioner, as the case may be, or other income-tax authority, is subordinate";

(c) for the proviso occuring after clause (g), the following proviso shall be substituted, namely :-

"Provided that nothing in this notification shall the effect of :-

(a) requiring any income-tax authority to make a particular assessment or to dispose of a particular case in a particular manner; or

(b) interfering with the discretion of the Commissioner (Appeals) or Additional Commissioner (Appeals) or Deputy Commissioner (Appeal)."

(M.K.CHOUDHARY)
UNDER SECRETARY TO THE CENTRAL BOARD
OF DIRECT TAXES.

(F.No.187/3/95-ITA-I)

Notification No. 10028

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र [असाधारण] के भाग II, खंड 3, उप-खंड [ii] में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च, 1996

अधिसूचना

[आयकर]

का0आ0 आयकर अधिनियम, 1961 [1961 का 43] की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं0 का0आ0 359[अ] दिनांक 30 मार्च 1988 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

[क] खंड [ग] के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"[ग] अपर निदेशक अथवा अपर आयुक्त अथवा अपर आयुक्त [अपील] अथवा उप निदेशक अथवा उपायुक्त अथवा उपायुक्त [अपील] ऐसे निदेशकों अथवा आयुक्तों के अधीन होंगे, जिनके क्षेत्राधिकार में वे अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं अथवा ऐसे अन्य आयकर प्राधिकारी के अधीन होंगे, जिनके अधीन उन्हें कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है और ऐसे किसी अन्य आयकर प्राधिकार के अधीन होंगे, जिनके अधीन निदेशक अथवा आयुक्त हों, जैसा भी मामला हो, अथवा अन्य आयकर प्राधिकारी होते हैं;"

[ख] खंड [घ] के लिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"[घ] सहायक निदेशक अथवा सहायक आयुक्त ऐसे अपर निदेशकों अथवा अपर आयुक्तों अथवा उप निदेशकों अथवा उपायुक्तों के अधीन होंगे जिनके क्षेत्राधिकार में वे अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं अथवा ऐसे किसी अन्य आयकर प्राधिकार के अधीन होंगे, जिनके अधीन उन्हें कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है

और ऐसे किसी अन्य आयकर प्राधिकारी के अधीन होंगे, जिसके अधीन उप निदेशक अथवा उपायुक्त, जैसा भी मामला हो अथवा अन्य आयकर प्राधिकारी होते हैं;"

(ग) खंड (i) के बाद आने वाले परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :-

"परन्तु इस अधिसूचना में किसी भी बात का यह प्रभाव नहीं होगा कि:-

(क) कोई भी आयकर प्राधिकारी किसी विशिष्ट कर निर्धारिती अथवा किसी विशिष्ट तरीके से किसी विशिष्ट मामले का निपटान करे; अथवा

(ख) आयुक्त (अपील) अथवा अपर आयुक्त (अपील) अथवा उपायुक्त (अपील) के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप करे।"

(एस॰के॰ चौधरी)
अवर सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना सं0 10028 (फा0सं0 187/3/95-आयकर नि0-I)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के निकट)
नई दिल्ली।